

न्यायालय-विनोद कुमार शर्मा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)

व्यवहार वाद कमांक 01ए/2014

संस्थित दिनांक 31.12.2013

फाइलिंग न.230301000372014

1. रामजीलाल पुत्र रामेश्वर दयाल कटारे

उम्र 65 वर्ष

2. कैलाश नारायण पुत्र रामेश्वर दयाल कटारे

उम्र 55 वर्ष

निवासीगण ग्राम छिडिया पुरा, तहसील अटेर,

जिला भिण्ड (म0प्र0)

..आवेदकगण/ वादी

// विरुद्ध //

1. रामदत्त पुत्र कुन्दनलाल उम्र 60 साल

2. सुरेश पुत्र कुन्दनलाल उम्र 50 साल

निवासीगण ग्राम छिडिया पुरा, तहसील अटेर,

जिला भिण्ड (म0प्र0)

.....अनावेदकगण/प्रतिवादी

// आदेश //

// आज दिनांक 01/03/2014 को पारित किया गया //

1. इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 आई0ए0 नंबर 1 का निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदन पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि ग्राम छिडिया पुरा में आवेदकगण के आधिपत्य का एक मकान स्थित है। जिसके पूर्व में आम रास्ता ग्राम आर.सी.सी. रोड, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण में मकान आवेदकगण जिसके बीच में वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा में दर्शित अ,ब,स,द से चिन्हित फर्द जगह आवेदकगण के मकान के सामने ग्राम आबादी आर.सी.सी. सड़क तक स्थित है। इसी जगह में प्रतिवादीगण द्वारा

निरंतर

अ,य,ल,र, से चिन्हित लाल स्याही की जगह पर अनुविभागीय अधिकारी अटेर के स्थगन आदेश के बाबजूद कब्जा करने की कोशिश की जिसके संबंध में आवेदकगण ने थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी। अतः उक्त भूमि विवादित है। (जिसे आगामी पदों में विवादित भू खण्ड के नाम से सम्बोधित किया जावेगा)। एस.डी.एम. अटेर के न्यायालय में संचालित प्रकरण रामजीलाल बनाम रामदत्त में दिनांक 7.8.2013 को यथा स्थिति का आदेश जारी किया गया था। ग्राम पंचायत सुरपुरा द्वारा पंचनामा प्रस्तुत किया गया। पंचनामा की कार्बन प्रति इस दावे के साथ संलग्न है। आर.सी.सी. सड़क से आवेदकगण एवं अनावेदकगण की जगह का विभाजन पूर्व से है। प्रतिवादीगण ने अ,य,ल,र,की जगह में लगभग 8 गुणा 10 फीट में दिनांक 28.12.13 को नीव खोद कर पक्की ईंटों से नीव भरना प्रारंभ कर दिया। जिससे मौके पर झगड़ा प्रारंभ हो गया। मौके पर मामूली विवाद में आवेदकगण को चोटें आईं। जिसकी रिपोर्ट थाना सुरपुरा में की गई। विवादित भूखण्ड पर आवेदकगण का पूर्वजों के जमाने से कब्जा चला आ रहा है फिर भी अनावेदकगण भूखण्ड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि अनावेदकगण को कब्जा करने से नहीं रोका गया तो मौके पर शांति भंग होने की संभावना है। अतः विवादित स्थान पर अवैध निर्माण को तत्काल रोका जाना आवश्यक है। अन्यथा आवेदकगण का दावा व्यर्थ हो जावेगा। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विवादित स्थल पर निर्माण कार्य रोके जाने तथा मौके पर यथास्थिति कायम रखने का निवेदन किया है।

3. अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा आवेदन पत्र का जबाब प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि आवेदन पत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 6 में वाद पत्र के समान लिखे गये हैं। जिनका जबाब प्रतिवादी द्वारा जबाब दावे में दिया गया है। उन्हें आवेदकगण के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सी.पी.सी. का पृथक से जबाब देने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं उन्हें कोई क्षति होने की संभावना भी नहीं है। अनावेदकगण का स्वयं प्रथमदृष्टया मामला तथा वादोक्त भूमि पर उनका आधिपत्य होने से उन्हें अपूर्तिनीय क्षति

निरंतर

कारित होगी। अतः आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. आवेदन पत्र के निराकरण हेतु निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1. क्या वादी का प्रथम दृष्टया वाद है ?
2. क्या सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी ना किए जाने से उसे अपूर्ण क्षति कारित होगी ?

!! विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 !!

5. उभय पक्ष की ओर से अपने अपने अभिवचन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदक/वादी की ओर से अपने समर्थन में ग्राम पंचायत सुरपुरा का दिनांक 6.2.13 का पंचनामा, अदम चैक क्रमांक 40/13 थाना सुरपुरा की छाया प्रति, एस.डी.एम. न्यायालय में प्रस्तुत किये गये इस्तगासा की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अदम चैक रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि विवादित जगह के संबंध में वादी रामजीलाल द्वारा अनावेदक एवं अन्य के विरुद्ध थाना सुरपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई है तथा उक्त जगह के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी अटेर के समक्ष इस्तगासा प्रस्तुत किया है। सरपंच एवं पंचों द्वारा प्रस्तुत किये गये पंचनामा के अनुसार विवादित जगह रामजीलाल एवं कैलाश नारायण कटारे के मकान के सामने होकर उनके स्वत्व की है।

6. प्रतिवादीगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी अटेर के प्र.क्र. 46/2013X145 द.प्र.स. के आदेश दिनांक 27.08.2013 एवं 29.08.2013 प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। उक्त प्रकरण में अनावेदकगण को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है तथा जॉच प्रतिवेदन थाना प्रभारी से तलब कराया गया है। एक पंचनामा सरपंच शांतीदेवी एवं अन्य पंचों के हस्ताक्षरित दिनांक 08.1.14 प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार रामदत्त के मकान के आगे आर.सी.सी. सड़क के बाद जगह चबूतरा नीम का पेड़ तथा विवादित जगह अनावेदक/प्रतिवादीगण के आधिपत्य की है। इस प्रकार एक ही सरपंच द्वारा दोनों पक्षों के सम्बन्ध में उनके पक्ष में पंचनामा प्रस्तुत किया गया है। अतः उनसे कोई निष्कर्ष निकाला जाना

निरंतर

संभव नहीं है। थाना सुरपुरा में सुरेश द्वारा आवेदक कैलाश एवं अन्य के विरुद्ध दिनांक 28.02.13 को एक अदम चैक रिपोर्ट क्रमांक 41/13 लेख कराई गई है। जो विवादित जगह पर हुये विवाद के सम्बन्ध में है। जिसमें अनावेदक पक्ष को आई उपहति के संबंध में एल.एल.सी. रिपोर्ट भी संलग्न की है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज से यह दर्शित होता है कि दस्तावेज विवादित जगह पर दोनों पक्षों के मध्य हुये आपसी विवाद से सम्बन्धित है। तथा सरपंच द्वारा प्रस्तुत किये गये पचनामा एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। अतः उनसे किसी भी पक्ष के स्वत्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

7. आवेदकगण की ओर से सूची मुताबिक प्रस्तुत प्रतिवेदन अप.क्रं. 1/14 दिनांक 12.01.14 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें रामजीलाल शर्मा द्वारा पुनः संजू, सुरेन्द्र, पवन, एवं रामदत्त के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है तथा एस.डी.एम. द्वारा मंगाये गये प्रतिवेदन, थाना प्रभारी सुरपुरा द्वारा लिये गये कथन एवं जॉच प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि गाँव वालों में से किसी ने कथन नहीं दिये। सम्पूर्ण जॉच से नीम के पेड़ के नीचे वाली जगह रामजीलाल एवं कैलाश नारायण कटारे की होना प्रतीत होती है, जो उनके मकान के सामने है। इस प्रकार प्रकरण में उभय पक्ष की ओर से विवादित भूमि के स्वत्व संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। दोनों ही पक्षों द्वारा अपना अपना दावा विवादित भूमि पर किया गया है। किसी भी पक्ष का स्वत्व एवं आधिपत्य मानने के लिये कोई विश्वसनीय प्रमाण मौजूद नहीं है। आवेदक एवं अनावेदकगण के कथन से थाना प्रभारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष स्वत्व एवं आधिपत्य के प्रमाणन हेतु पर्याप्त नहीं है।

8. उभय पक्ष की सहमति से मौके का कमिश्नर प्रतिवेदन न्यायालय द्वारा तलब किया गया है। कमिश्नर द्वारा दिनांक 02.02.14 को मौके पर जाकर पंचनामा, नजरी नक्शा एवं फोटोग्राफ खींचें तथा विस्तृत प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। उन्होंने मौके की संपूर्ण स्थिति का विवरण अपने प्रतिवेदन में दिया है। उनके द्वारा दिये गये प्रतिवेदन एवं

निरंतर

नजरी नक्शा से यह दर्शित होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण दोनों द्वारा दिये गये नक्शा वास्तविक स्थिति के विपरीत रहे हैं। वादी का यह कहना है कि मुताबिक नक्शा विवादित जगह के दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर की ओर उसके मकान बने हैं, लेकिन दक्षिण की ओर मकान ना होकर आर.सी. सी. सड़क है। पश्चिम एवं उत्तर की ओर वादीगण की खुली जगह होना बताई गई है। अनावेदक रामदत्त एवं सुरेश के सामने आर.सी.सी. रोड है उसके बाद विवादित जगह है। प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि विवादित स्थल का अ,ब,स,द से चिन्हित किया गया है जिस पर मौके पर कोई निर्माण होना नहीं पाया गया है ना ही मौके पर कोई बाउण्ड्री वाल बनाई गई है। विवादित स्थल के पश्चिम में उत्तर दक्षिण दिशा की ओर 6 फुट 6 इंच कच्ची मिट्टी की दीवाल के बाद जमीन लेबिल से करीब 1 फुट ऊंची ईट गारे की दीवाल बनी है जो 9 फुट लंबी व 9 इंच चौड़ी है। उत्तर दिशा की ओर फिर एक फुट कच्ची दीवाल बनी है जो पूरब पश्चिम 21 फीट 8 इंच लंबी है जो कच्ची मिट्टी की बनी है। जो आर.सी.सी. की रोड से 2 फुट ऊंचाई पर बनी है। पूर्व से पश्चिम दक्षिण की भुजा 8.6 फीट लंबी है। उक्त 8.6 फीट में आर.सी.सी. की रोड से 4 फीट 9 इंच ऊंची मिट्टी की दीवाल बनी है। शेष दीवाल गिर गई है। विवादित स्थल पर काफी ईट बिखरी पड़ी हैं।

9. इस प्रकार विवादित स्थल पर कोई पक्का निर्माण नहीं है। टूटी दीवाल है नीम का पेड़, खूटा एवं लिण्डोरी आदि बनी हैं। उक्त विवादित स्थल पर उभय पक्ष के मध्य विवाद है। वादी का कहना है कि उनके नक्शा के मुताबिक अ, य, ल, र जगह पर नींव खोदकर अनावेदक/प्रतिवादीगण निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कोई निर्माण कार्य होना दर्शित नहीं हुआ है। उभय पक्ष को उक्त जगह पर अपना-अपना दावा एवं प्रतिदावा में स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित करना है। वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं है।

10. उपरोक्तानुसार आवेदकगण/वादी एवं अनावेदकगण/प्रतिवादी द्वारा विवादित भूमि पर किसी का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन

निरंतर

एवं अपूर्तिनीय क्षति होना प्रमाणित नहीं होता है। विवादित जगह अभी फर्द जगह है। उस पर यथा स्थिति बनाये रखने एवं प्रकरण के गुणदोष पर निराकरण तक उभय पक्ष को निर्माण कार्य करने से रोके जाने, उभय पक्ष के मध्य निरन्तर होते रहे विवादों की रोक थाम हेतु यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाना उचित होगा। अतः उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार विवादित स्थल पर प्रकरण के विचारण तक उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना करे ना ही कोई निर्माण कार्य करेंगे।

11. उपरोक्तानुसार आवेदकगण/वादी का आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. आई.ए.नं.1 निराकृत किया जाता है।
12. उभय पक्ष आवेदन पत्र का अपना-अपना व्यय वहन करेंगे।
13. उक्त आदेश का प्रकरण के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।।
आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं मेरे बोलने पर टाईप किया गया।
दिनांकित कर पारित किया गया।

(विनोद कुमार शर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (म0प्र0)

(विनोद कुमार शर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (म0प्र0)

निरंतर